प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनाँक 30.08.2025

- ***संतकबीरनगर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी में वांछित 25000 रु0 के इनामिया अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार***
- ***एक अदद तमंचा 315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, कुल 14900रु0 व चोरी के जेवरात बरामद***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राज शेखर पाण्डेय*** के पर्यवेक्षण में थाना धनघटा, थाना महुली, एसओजी/स्वाट के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा 25000/ रु0 के ईनामियां वांछित अभियुक्त इम्तियाज उर्फ हिमताज पुत्र मो0 रफी निवासी ग्राम मैली थाना धनघटा जनपद संतकबीर नगर को कटार मिश्र पुल उत्तरी छोर के पास से नियमानुसार आज दिनांक 30.08.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पहली घटनाः- दिनाँक 25.06.2025 को वादी श्री दयानरायण राय पुत्र रामसुरेश राय निवासी ग्राम सिरसी खास थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर अज्ञात चोर के विरुद्ध दिनाँक 24/25.06.2025 की रात्रि में वादी के घर में घुसकर नगदी, गहने, एटीएम, पैनकार्ड व आधारकार्ड की छायाप्रति चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था, उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 313/2025 धारा 331(3), 305(a) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

दूसरी घटनाः- दिनाँक 28.06.2025 को वादी श्री मारकण्डेय वर्मा पुत्र स्व0 रामनाथ वर्मा निवासी तरयापार थाना महुली जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना महुली पर अज्ञात चोर के विरुद्ध दिनाँक 25.06.2025 को वादी के घर में घुसकर जेवरात चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था, उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना महुली पर मु0अ0सं0 242/2025 धारा 331(3), 305(a) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

तमंचा व कारतूस बरामदगी के आधार पर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 418/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया तथा चोरी के जेवरात व रुपयों की बरामदगी के आधार पर उक्त दोनो अभियोगों में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. इम्तियाज उर्फ हिमताज पुत्र मो0 रफी निवासी ग्राम मैली थाना धनघटा जनपद संतकबीर नगर।

बरामदगी का विवरणः-

1. एक अदद तमंचा 315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।
2. 10000 रुपया नगद, एक अदद गले का चैन पीली धातु ,एक अदद अंगुठी पीली धात, एक जोड़ी पायल सफेद धातु,दो जोड़ी सफेद धातु सम्बन्धित मु0अ0सं0 313/2025 धारा 331(3),305(a),313,317(2),112 बीएनएस थाना धनघटा।
3. एक जोड़ा कान का झाला पीली धातु, 4900/ रुपया नगद सम्बन्धित मु0अ0सं0 242/2025 धारा 331(4), 331(4),305,317(2) बीएनएस थाना महुली जनपद संतकबीर नगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- प्रभारी निरीक्षक धनघटा श्री जय प्रकाश दूबे, थानाध्यक्ष महुली श्री रजनीश राय, एस0ओ0जी0 एवं स्वाट प्रभारी श्री अजय कुमार सिंह, व0उ0नि0 श्री राजेश कुमार दूबे, उ0नि0 श्री जयप्रकाश कुशवाहा, का0 सत्यम सिंह, का0 जितेन्द्र यादव, का0 महेन्द्र निषाद, का0 रजनीश यादव , का0 अभिषेक सिंह, का0 शम्स तवरेज अली, का0 सर्वेश कुमार मिश्रा, का0 दीपक सिह, का0 वीर बहादुर यादव, का0 शुभम कुमार, का0 अरुण कुमार, का0 विवेक मिश्रा।

आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्तः- इम्तियाज उर्फ हिमताज पुत्र मो0 रफी निवासी ग्राम मैली थाना धनघटा जनपद संतकबीर नगर

1. मु0अ0सं0-293/2019 धारा 307 भादवि धनघटा जनपद संतकबीरनगर।
2. मु0अ0सं0 294/2019 धारा 3/5/8 गोवध व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।
3. मु0अ0सं0 295/2019 धारा 41/411 भादवि थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।
4. मु0अ0सं0 296/2019 धारा 5 विस्फोट पदार्थ एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।
5. मु0अ0सं0 511/2019 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।
6. मु0अ0सं0 446/2021 धारा 3/5ए/8 गोवध निवा0 अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 धनघटा जनपद संतकबीरनगर।
7. मु0अ0सं0 733/2022 धारा 323,325,504,506 भादवि धनघटा जनपद संतकबीरनगर।
8. मु0अ0सं0 337/2023 धारा 2(b)(xv),3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।
9. मु0अ0सं0 841/2023 धारा 174-ए भादवि थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।
10. मु0अ0सं0 313/2025 धारा 331(3),305(a),313,317(2),112 BNS थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।
11. मु0अ0सं0 242/2025 धारा 331(4), 331(4),305,317(2) B.N.S. थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।
12. मु0अ0सं0 418/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 06 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

थाना मेहंदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5994 द्वारा मारपीट/विवाद में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 5994 को थाना बेलहरकला क्षेत्रांतर्गत लोहरसन से कालर द्वारा मारपीट में घायल अपने स्वयं के पुत्र (1.अहमद अली पुत्र समसुल सा0 लोहरसन थाना बेलहर कला जनपद सन्तकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर उक्त घायल व्यक्ति को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु सी0एच0सी0 मेंहदावल भेजवाया गया । घटना के सम्बन्ध में थाना बेलहर कला को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु सी0एच0सी0 मेंहदावल भेजवाया गया । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी ।

पीआरवी स्टाफ- आ0 हरिशंकर गौड़, हो0चा0 मो0 रफीक ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 79 वाहनों से 66,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 30.08.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 79 वाहनों से 66,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी के 01 अदद स्टेब्लाइजर के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान जनपद में चोरी जैसी घटनाओं के सफल अनावरण हेतु थानाध्यक्ष बेलहरकला ***श्री अनिल कुमार*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 208/2025 धारा 305/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त इमरान उर्फ गोलू पुत्र दिलीप नगेरी निवासी वार्ड नं0 4 नगर पंचायत बेलहरकला थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को चोरी के **01 अदद स्टेब्लाइजर** के साथ माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***वादी शिशिर कुमार पुत्र स्व0 व्यासमुनि निवासी बेलहर खुर्द वार्ड नं0 06 थाना बेलहरकला जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा दिनांक 30.08.2025 को थाना बेलहरकला पर तहरीर दिया गया कि दिनांक 29/30.08.2025 की रात्रि में उनके घर से 01 अदद स्टेब्लाइजर गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा चोरी कर लिया गया है । उक्त तहरीर के आधार पर थाना बेलहरकला पर मु0अ0सं0 208/2025 धारा 305/317(2) बीएनएस अभियोग पंजीकृत किया गया* ।**

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

01.इमरान उर्फ गोलू पुत्र दिलीप नगेरी निवासी वार्ड नं0 4 नगर पंचायत बेलहरकला थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर **।**

***बरामदगी का विवरण –* 01 अदद स्टेब्लाइजर** ।

गिरफ्तारी टीम- उ0नि0 श्री हरेन्द्र सिंह।

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में नामित 01 बाल अपचारियों को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजेशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना महुली पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 292/25 धारा 70(2)/351(3)/बीएनएस व ¾(1) पाक्सो एक्ट थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर के मामले में नामित 01 बाल अपचारी को आज दिनाँक 30.08.2025 को उनके घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 10.08.2025 को थाना महुली पर बावत दिनाँक 09.08.2025 को अभिरक्षा में लिए गए बाल अपचारी के विरुद्ध वादी की नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना महुली पर प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना महुली पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर दिनांक 14.08.2025 को एक अन्य बाल अपचारी को को माननीय न्यायालय रवाना किया गया था, गिरफ्तारी के क्रम में आज दिनांक 30.08.2025 को नामित बाल अपचारी को अभिरक्षा में लेकर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- थानाध्यक्ष महुली श्री रजनीश राय, हे0का0 सम्स तबरेज, का0 अजीत गुप्ता, का0 सुर्यप्रताप यादव ।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के मामले में 03 अभियुक्तों को 01-01 वर्ष के सदाचरण बनाये रखने व 12000 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 30.08.2025 को मा0 न्यायालय– सी0जे0(एस0डी0)/ ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 03 अभियुक्तों को 01-01 वर्ष के सदाचरण बनाये रखने व 12000 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

दिनांक-18.03.2000 को वादी मुकदमा प्रेम सिंह पुत्र श्री रामप्रताप सिंह निवासी अमौली थाना धनघटा हा0मु0 भट्ठा मालिक कौड़िया थाना बखिरा जनपद सं0क0न0 द्वारा थाना बखिरा पर दिए गए तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-67/2000 धारा-147/148/149/323/325/352/504/506 IPC व 7 क्रि0ला0ए0एक्ट बनाम 1- रियाज बंजारा पुत्र हेतम बंजारा 02. छल्ली उर्फ छलिया पुत्र बब्बन 03. जमील बंजारा पुत्र टिकोरी निवासीगण बंजरिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री रामदुलारे मिश्रा द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया |
मु0अ0सं0 67/2000 के मामले में अभियुक्तगण उपरोक्त को 01 वर्ष की अवधि के लिए सदाचरण कायम रखने की शर्त पर छोड़ा गया तथा प्रत्येक अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 05 की धारा 05 के अन्तर्गत बतौर प्रतिपूर्ति 04-04 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप छल कारित कर पूर्व विधायक की जीप लेकर फरार हो जाने के मामले में अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1500रू0 के अर्थदण्ड तथा न्यायालय उठने तक की सजा से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 30.08.2025 को मा0 न्यायालय सी0जे0(जे0डी0)/जे0एम0 संतकबीरनगर के द्वारा 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि, 1500 रु0 के अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।

विवरणः-

दिनांक-18.01.1991 को वादी मुकदमा श्री द्वारिका प्रसाद पूर्व विधायक पुत्र हूबराज निवासी धमइचा थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा थाना को0 खलीलाबाद पर दिए गए तहरीर दी गयी कि मुस्तफा पुत्र यार अली निवासी धौरहरा थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर व अन्य के द्वारा उनकी जीप को छल कारित करते हुए फरार हो गए जिसके आधार पर 316/1991 धारा 406/420 भा0द0वि0 पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री गोरखनाथ यादव द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया |
मु0अ0सं0 316/1991 धारा 406/420 भा0द0वि0 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त मुस्तफा पुत्र यार अली निवासी धौरहरा थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को मुकदमा उपरोक्त में धारा 406 भा0द0वि0 के अपराध में जेल में बितायी अवधि व 500रू0 के अर्थदण्ड, धारा 420 भा0द0वि0 के अपराध में जेल में बिताई गयी अवधि व 1000 रु0 के अर्थदण्ड तथा मा0 न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के मामले में 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 30.08.2025 को मा0 न्यायालय– सी0जे0(एस0डी0)एफ0टी0सी/ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक का कारावास व 12000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

दिनांक-13.03.1999 को वादी मुकदमा श्यामलाल पुत्र श्री रामनरेश निवासी पेड़ारी खुर्द थाना मेहदावल जनपद सं0क0न0 द्वारा थाना मेंहदावल पर दिए गए तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-33/1999 धारा-323/324/504/506 IPC बनाम 01- राजाराम पुत्र प्रसाद यादव 02. दयाराम पुत्र भागीरथी यादव निवासीगण पेड़ारी खुर्द थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध लाठी डण्डो से मारना पीटना व गाली गलौज करने के सम्बन्ध में पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री रामदुलारे मिश्रा द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया |

मु0अ0सं0 33/1999 के मामले में अभियुक्तगण उपरोक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास तथा अभियुक्तगण राजाराम व दयाराम को धारा-323 भादवि के अपराध के लिए 500 रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्तगण एक माह का सादा कारावास भुगतेंगें, धारा-324 भादवि के अपराध के लिए न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500 रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्तगण एक माह का सादा कारावास भुगतेंगे, धारा-504 भादवि के अपराध के लिए 500 रुपये का जुर्माना , जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्तगण एक माह का सादा कारावास से भुगतेंगे व धारा-506 भादवि के अपराध के लिए 500 रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्तगण एक माह का सादा कारावास भुगतेंगे।